सहकार संवाद

अंक: 03, वर्ष: 1, फरवरी, 2021

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

सहकारिता विभाग
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

एक सब के लिए, सब एक के लिए

झलकियाँ

माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा विडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से धान अधिप्राप्ति की समीक्षा

नाबार्ड प्रदत्त मोबाइल ATM Van जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, बेगुसराय को माननीय मंत्री, सहकारिता श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा उपलब्ध कराया गया

नवनिर्मित सहकार भवन, जमुई

बंदना प्रेयसी, सचिव, सहकारिता विभाग बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के वार्षिक आमसभा की अध्यक्षता करते हुए

जिला पदाधिकारी, मोतिहारी के द्वारा धन अधिप्राप्ति की समीक्षा

निबंधक, सहयोग समितियाँ श्री राजेश मीणा के द्वारा राज्य के सहकारी बैंकों की समीक्षा

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

सहकार संवाद

अंक: 03, वर्ष: 1, फरवरी, 2021

संरक्षक:
श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह
मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार

प्रधान सम्पादक:
बंदना प्रेयषी, भा.प्र.से.
सचिव, सहकारिता विभाग,
बिहार

सम्पादक:
श्री संजय कुमार
जनसम्पर्क पदाधिकारी
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना

सम्पादक मण्डल:

1. श्री मो. मुजीबुर्ररहमान
2. श्री अजय कुमार अलंकार
3. श्री विकास कुमार बरियार
4. श्री भरत कुमार
5. श्री कामेश्वर ठाकुर
6. श्री सुभाष कुमार
7. श्रीमती लवली

विषय सूची

क्र.	विषय	पृष्ठ सं.
1	संपादकीय	01
2.	धान अधिप्राप्ति (मौसम 2020–21) व्यवस्था का सरलीकरण	03
3	मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न	05
4.	बिशुनपुर गोकुल पैक्स	08
5.	पैक्स के बेहतर प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण	10
6.	सहकारी बैंकों में एकमुश्त ऋण समझौता योजना	13
7.	सहकार छंद	15
8.	झलकियाँ	16

प्रकाशक:
सहकारिता विभाग, बिहार
द्वितीय तल, विकास भवन, पटना–800 015
अपने विचार एवं सुझाव ई–मेल rcsbihar1@gmail.com पर भेजें

लेआउट डिजाईन एवं मुद्रण: **पूनम ईन्टरप्राईजेज,** पटना

अमरेन्द्र प्रताप सिंह
मंत्री
कृषि, सहकारिता एवं
गन्ना उद्योग विभाग
बिहार सरकार

बिहार सरकार

शुभकामना संदेश

नव वर्ष की शुभकामनाएँ!

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि सहकारिता विभाग, बिहार की ओर से **'सहकार संवाद'** मासिक पत्रिका का तृतीय अंक प्रकाशित होने जा रहा है। विकेन्द्रीकृत एवं समावेशी विकास की प्रक्रिया को मूर्त रूप देने के लिए आवश्यक है कि स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत एवं सहकारी समितियाँ लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उनकी जरूरतों के हिसाब से कार्य करें। इसके लिए जरूरी है कि सहकारिता विभाग एवं सहकारी समितियों के बीच अनवरत संवाद की प्रक्रिया स्थापित हो तथा स्थानीय स्तर पर काम कर रही समितियाँ और उनके सदस्यों की समस्याओं और आकांक्षाओं से विभाग अवगत हो। राज्य में धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और मैं **'सहकार संवाद'** के माध्यम से विभाग के सभी पदाधिकारियों से अपील करता हूँ कि वे पूरी तन्मयता और पारदर्शिता के साथ कार्य करेंगे। साथ ही, विभाग की अन्य योजनाओं के संबंध में स्पष्ट रूप से जानकारी देने में **'सहकार संवाद'** अत्यंत उपयोगी हो सकता है। सहकारिता एक अत्यंत गतिशील प्रक्षेत्र है, अतः देश एवं विश्व के अन्य भागों में सहकारी प्रक्षेत्र के माध्यम से किये जा रहे कार्यों एवं प्रयासों की जानकारी को उपलब्ध कराना भी अत्यंत प्रासंगिक होगा।

मैं उम्मीद करता हूँ कि "सहकार संवाद विभाग एवं हितधारको (Stake Holders) के बीच सार्थक संवाद कायम करते हुए राज्य की सहकारी समितियों के कार्यकलापों को नई दिशा देने में सफल होगा।

मैं इसके सफल प्रकाशन एवं व्यापक ग्राह्यता की कामना करता हूँ।

14/12/20

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)

बंदना प्रेयषी, भा.प्र.से.
सचिव
सहकारिता विभाग, बिहार

बिहार सरकार

सचिव, सहकारिता की कलम से

नव वर्ष की शुभकामनाएँ!

वर्ष 2020 को सामान्यतः कोविड–19 विभिषिका के लिए जाना जाएगा परन्तु अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में भी सहकारिता विभाग ने विभागीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता हासिल की। आशा करती हूँ कि 2021 में सहकारी समितियाँ अपनी क्षमताओं एवं संभावनाओं को फलीभूत करने हेतु प्रयासरत होंगे।

धान अधिप्राप्ति विभाग के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है, जिसे सफल बनाने के लिए सितम्बर माह से ही तैयारी प्रारंभ कर दी गई थी। पूर्व के वर्षों से थोड़ा अलग इस वर्ष नवम्बर माह से ही अधिप्राप्ति का कार्य प्रारंभ कर दिया गया, जिससे लघु एवं सीमांत किसानों को इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। इस योजनान्तर्गत निबंधन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है एवं कृषि विभाग अंतर्गत निबंधित सभी किसान अधिप्राप्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं। धान अधिप्राप्ति की सफलता के लिए राज्य सरकार, सहकारी बैंकों एवं पैक्सों के बीच आवश्यक समन्वय स्थापित किया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष राज्य में पिछले वर्षों की अपेक्षा धान की अधिक अधिप्राप्ति होगी।

सहकारिता विभाग की एक और महत्त्वाकांक्षी योजना – मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना को क्रियान्वित करने की तैयारियाँ अंतिम चरण में है। पैक्स के स्तर पर कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना के फलस्वरुप लघु एवं सीमांत कृषकों को स्थानीय स्तर पर आधुनिक कृषि तकनीक का लाभ प्रतिस्पर्द्धात्मक दर पर प्राप्त हो सकेगा। योजनान्तर्गत इस बात का ख्याल रखा गया है कि कृषि क्षेत्र में कृषि संयंत्रों एवं कृषि तकनीक का प्रयोग पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता के साथ होना चाहिए। इस योजनान्तर्गत चयनित पैक्सों के द्वारा कृषि यंत्रों का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है तथा कृषि संयंत्रों के रख–रखाव, उपयोग एवं प्रबंधन आदि के संबंध में आवश्यक कार्यान्वयन–अनुदेश निर्गत किए गए हैं। आशा करती हूँ कि योजना के सफल कार्यान्वयन से कृषि के उत्पादन एवं उत्पादकता में मात्रात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि होगी।

माह नवम्बर, 2020 में मुझे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अवसर पर विभिन्न सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति के महिला निदेशकों को संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ। सहकारी समितियों में समावेशी प्रतिनिधित्त्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रशिक्षण एवं सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं के संख्यात्मक प्रतिनिधित्त्व को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से महिलाओं की बेहतरी के लिए अर्थपूर्ण बनाया जाए। राज्य में जीविका एवं कॉम्फेड की सफलता में महिला सहकारी समितियों की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि महिला निदेशक महिलाओं के आर्थिक उन्नयन हेतु स्थानीय कौशल, संभावना, दक्षता एवं आवश्यकता के संदर्भ में विशेष कार्यक्रम बनाएगी।

आप सबको एक बार पुनः नए वर्ष की शुभकामनाएँ।

राजेश मीणा
निबंधक, सहयोग समितियाँ

बिहार सरकार

निबंधक, सहयोग समितियाँ की कलम से

नव वर्ष की शुभकामनाएँ!

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि सहकारिता विभाग के द्वारा प्रकाशित 'सहकार संवाद' मासिक पत्रिका के माध्यम से विभाग की योजनाओं, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों पर प्रासंगिक चर्चा की जा रही है।

कोविड–19 जनित परेशानियों एवं सीमाओं के बावजूद सहकारिता विभाग के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक एवं ससमय संचालन किया जा रहा है। राज्य में सहकारी समितियों के माध्यम से धान अधिप्राप्ति का कार्य प्रारम्भ हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पैक्स एवं व्यापारमंडलों के माध्यम से ससमय किसानों से धान अधिप्राप्ति सुनिश्चित कर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के क्रियान्वयन से लघु एवं सीमान्त किसानों की अत्याधुनिक कृषि तकनीक तक पहुँच सुनिश्चित हो सकेगी। इस योजना के सफल क्रियान्वयन में क्षेत्रीय पदाधिकारियों की अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यालय स्थित कोषांग इस संबंध में क्षेत्रीय पदाधिकारियों को आवश्यक तकनीकी सहयोग उपलब्ध करायेंगे। प्रस्तावित शहद उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन योजना विभाग की अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना है, जिसके सफल क्रियान्वयन से राज्य के आर्थिक विकास को एक नई दिशा मिल सकती है।

सहकारी उपक्रमों में एक बेहतर विश्व का निर्माण करने की क्षमता है। इस क्षमता को मूर्त्त रूप देने के लिए सहकारिता विभाग एवं सहकारी आन्दोलन के बीच एक अहर्निश सार्थक संवाद आवश्यक है। 'सहकार संवाद' की इस संवाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

मैं विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों से उम्मीद करता हूँ कि वे सुरक्षित एवं स्वस्थ रहते हुए अपने कार्यों एवं दायित्त्वों के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे।

संपादक के नाम पत्र

'सहकार संवाद' का माह सितम्बर का अंक ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त हुआ। रतनपुर पैक्स के द्वारा सहकारी सिद्धांतों के आधार पर किसानों के लिए जो कार्य किये जा रहे हैं, उनसे उम्मीद जगती है कि सहकारिता ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

समर्थ कशयप, गया

'सहकार संवाद' के माध्यम से सहकारी क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्राप्त हुए। सहकारी प्रथेग में किये जा रहे कार्यों के बारे में पहले कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती थी परन्तु 'सहकार संवाद' ने इस दूरी को कम कर दिया है। सहकारिता के माध्यम से आदिवासियों के लिए जो कार्य किया जा सकता है-उस पर एक आलेख की अपेक्षा रखता हूँ।

प्रशांत कुमार, कटोरिया, बांका

'सहकार संवाद' तकनीकी दृष्टिकोण से एक उत्कृष्ट पत्रिका है। पत्रिका का लेआउट एवं चित्र गुणवत्ता उत्तम है। सितम्बर माह के सहकार संवाद में 'मंथन' सिनेमा के माध्यम से सहकारी संगठन पर एक रोचक आलेख पठने को मिला। मैं सहकार संवाद के सफलता की कामना करता हूँ।

राजकुमार, शिक्षक, पकरी बराना, नवादा

सहकार संवाद के सितम्बर अंक को पढ़कर काफी कुछ जानने को मिला। प्रस्तावित मधुमक्खी पालन, शहद उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन पर दी गयी जानकारी काफी उत्साहवर्द्धक है। इसी तरह के जनोपयोगी आलेखों की अपेक्षा के साथ मेरी शुभकामनायें।

बिन्देश्वरी सिंह, भोजपुर

संपादकीय

कृषि उत्पादों का विपणन और सहकारिता

कृषि उत्पाद बाजार की अनिश्चितताओं के सन्दर्भ में कृषि उत्पादों का विपणन हमेशा से एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है। भारत सरकार के द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों की खरीद की अपनी सीमाएं रही हैं। भौगोलिक दृष्टि से मुख्यतः उत्तर भारत सामाजिक रूप से बड़े किसानों और आर्थिक रूप से खाद्य सुरक्षा के विचार तक सीमित अधिप्राप्ति न ही कृषि क्षेत्र की मौलिक समस्याओं का समाधान कर सकती हैं और न ही सभी किसाानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य सुनिश्चित कर सकती है अतः वैकल्पिक माध्यमों की तालाश आवश्यक है। सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि उत्पादों के विपणन क्षेत्र में सार्थक हस्तक्षेप किए जा सकते हैं।

कृषि विपणन की मुख्य समस्या :

सर्वप्रथम लघु एवं सीमांत किसानों के पास संसाधनों के आभाव के कारण कृषि उत्पादों को कटाई के बाद तुरंत बेचने की मजबूरी है जिससे उन्हें सही मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है। वैज्ञानिक भंडारण के आभाव में खाद्य पदार्थों का काफी नुकसान होता है जिसका विपरीत प्रभाव किसानों की आमदनी पर पड़ता है। पुनः कृषि उत्पादन बाजार समितियों की कुव्यवस्था एवं एकाधिकारी प्रवृत्तियां किसानों के हितों के विपरीत जाती हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार की संस्थाओं के द्वारा अधिप्राप्ति की प्रक्रिया की अपनी सीमाएं हैं। केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा के मानकों एवं जन–वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं के अनुरूप ही चावल एवं गेहूं की खरीद करना चाहती है परंतु संघीय ढाँचे में अलग–अलग राज्यों के दबाव को नजरंदाज करना आसान नहीं है। भारतीय खाद्य निगम के द्वारा अधिप्राप्ति, भंडारण एवं परिवहन की प्रक्रिया काफी महंगी है, जिससे सरकार का वित्तीय घाटा बढ़ता है।

भारत सरकार की पहल :

उपरोक्त समस्याओं के संदर्भ में संसद के द्वारा तीन बिल पारित किए गए हैं जिसमें कृषि विपणन बिल में प्रावधान किया गया है कि किसान अपने कृषि उत्पादों को देश के अंदर कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र है तथा निजी क्षेत्र कृषि उत्पादों की खरीद, भंडारण एवं विपणन का कार्य कर सकती हैं यद्यपि न्यूनतम समर्थन मूल्य को जारी रखने की बात की गई है परंतु किसानों के एक वर्ग को यह आशंका है कि समय के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त कर दिया जाएगा तथा उन्हें निजी क्षेत्र के भरोसे छोड़ दिया जाएगा। यहाँ मौलिक प्रश्न यह है कि सरकार के द्वारा किसानों के द्वारा झेली जा रही समस्याओं का समाधान किस तरह किया जाए।

समाधान :

सहकारी समितियों के द्वारा कृषि उत्पादों के विपणन में अनेक पहल की गई है। सर्वप्रथम विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति योजना अंतर्गत बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओड़िसा एवं अन्य राज्यों में पैक्स को अधिप्राप्ति की एजेंसी

घोषित कर धान और गेहूं की अधिप्राप्ति की जा रही है। इस व्यवस्था के पूर्व बिहार जैसै राज्यों में अधिप्राप्ति की मात्रा तबरीबन नगण्य थी, परंतु सहकारी समितियों के माध्यम से अधिप्राप्ति को नयी दिशा प्राप्त हुई है। प्रत्यक्ष लाभ के अतिरिक्त अधिप्राप्ति का परोक्ष लाभ यह हुआ है कि धान और गेहूं का बाजार मूल्य भी बढ़ जाता है, जिससे वैसे किसान, जो सहकारी समितियों के माध्यम से अधिप्राप्ति का कार्य नहीं करते हैं – को भी इसका लाभ मिल जाता है।

पूर्व में सहकारी समितियों के द्वारा प्लेजिंग या बंधक व्यवसाय किया जाता था, जिसके अंतर्गत किसान सहकारी समितियों में 80 प्रतिशत अल्पकालीन कर्ज प्राप्त कर अपने अनाज को बंधक रख देते थे और बाजार मूल्य बढ़ने पर अनाज को अच्छे मूल्य पर बेचकर सहकारी समितियों की कर्ज की राशि ब्याज सहित वापस करते थे। आज जब अधिकांश सहकारी समितियों के पास सुरक्षित और वैज्ञानिक भंडारण की सुविधा उपलब्ध है तो यह आवश्यक है कि बंधक व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाए। यह खासकर धान एवं गेहूँ के अतिरिक्त अन्य फसलों यथा दलहन, तेलहन आदि के लिए ज्यादा उपयुक्त हो सकता है।

सहकारी व्यवस्था अंतर्गत हर राज्य में कृषि उत्पादों के विपणन हेतु तीन स्तरीय विपणन समितियों की व्यवस्था है। बिहार में प्राथमिक स्तर पर पैक्स, द्वितीय स्तर पर व्यापार मंडल सहयोग समितियाँ एव शीर्ष स्तर पर बिस्कोमान अस्तित्व में है। व्यापार मंडल जो प्रखंड स्तर पर निबंधित हैं– का उपयोग प्रबंधित विपणन के लिए किया जा सकता है।

बिहार एवं अन्य राज्यों में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के मार्गदर्शन में कार्यरत दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के द्वारा दुग्ध उत्पादकों के आर्थिक हितों की रक्षा में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया गया है। बिहार में सब्जी के उत्पादन एवं विपणन क्षेत्र में तीन स्तरीय सहकारी समितियों के माध्यम से एक महत्त्वपूर्ण पहल की शुरूआत की गई है। पुनः शहद के विपणन हेतु सहकारिता विभाग अंतर्गत एक महत्त्वपूर्ण पहल प्रस्तावित है। ये पहल इस मायने में महत्त्वपूर्ण हैं कि धान एवं गेंहू के अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र के अन्य उत्पादों यथा सब्जी, दूध, शहद आदि का सफल विपणन कर सहकारी समितियाँ न केवल किसानों के आय में वृद्धि करती हैं बल्कि बाजार की एकाधिकारी प्रवृतियों पर भी अंकुश लगाती है।

किसानों की आय में वृद्धि के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त अन्य योजनाओं पर भी कार्य करने की आवश्यकता है, जिसमें सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती हैं। विभिन्न फसलों के बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद का उत्पादन निर्यात के अवसरों को किसान के समक्ष उपलब्ध करा सकता है। उदाहरण के तौर पर बासमती धान के उत्पादन में कम पानी की आवश्यकता होती है तथा इसका बाजार मूल्य सामान्य धान की तुलना मे ज्यादा होता है। पुनः फलों एवं सब्जियों के उत्पादन से किसानों को ज्यादा लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि सहकारी समितियाँ बाजार की माँग के अनुरूप किसानों को प्रशिक्षित एवं संवेदनशील करे तथा किसानों को मूल्य संवर्द्धन में सहयोग करें। सहकारी समितियों के स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण की इकाई स्थापित कर किसानों के उत्पाद के मूल्य में वृद्धि की जा सकती है।

किसानों के हित में आवश्यक है कि कृषि उत्पादों के विपणन के एक से अधिक संस्थागत विकल्प मौजूद हों जहाँ किसान सुगमतापूर्वक अपने उत्पादों को ले जा सकें तथा भयमुक्त एवं शोषणमुक्त माहौल में अपने उत्पादों की बिक्री कर सकें। कॉर्पोरेट क्षेत्र के कृषि विपणन में आने से किसान के समक्ष एक महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सकता है लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि उनका विनियमन (regulation) सही तरीके से किया जाए। सहकारी समितियाँ अपनी विकेंद्रीकृत संस्थागत उपस्थिति एवं किसानों की अपनी संस्था होने के कारण किसानों के हित संवर्द्धन एवं उनके आय वृद्धि में अत्यंत सार्थक हस्तक्षेप कर सकता है।

संजय कुमार

धान अधिप्राप्ति (मौसम 2020-21) व्यवस्था का सरलीकरण

राज्य में इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के मार्गदर्शन में विकेन्द्रित धान अधिप्राप्ति योजना को किसानों के लिए सरल एवं सहज बनाने हेतु महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये है, जिनका मुख्य उद्देश्य किसानों एवं सहकारी समितियों के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करते हुए अधिकाधिक इच्छुक किसानों को निर्धारित अवधि में न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सुनिश्चित करना है।

(क) किसानों के निबंधन की प्रक्रिया में परिवर्तन।

किसानों के निबंधन हेतु पूर्व में निबंधन प्रक्रियान्तर्गत भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र / जमीन के कागजात आदि की आवश्यकता को समाप्त करते हुए नयी व्यवस्था लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधितकिसानोंसेकृषिविभाग की निबंधन संख्या के आधारपर धान क्रय करने की व्यवस्था की गई है। ऐसा करने से किसानों को दोबारा निबंधन नही कराना पड़ता है एवं धान अधिप्राप्ति का कार्य तीव्रगति से सम्पन्न होता है।

(ख) समितियों के चयन/क्रियाशील समितियों की संख्या में वृद्धि

अधिप्राप्ति कार्य प्रत्येक प्रखंड / पंचायत में संचालित हो इसलिए अधिकाधिक समितियों के चयन हेतु अवक्रमित पैक्सों / व्यापार मंडलों को भी अधिप्राप्ति कार्य में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही जिन पैक्सों में चुनाव प्रक्रियाधीन थी, उनमें भी अधिप्राप्ति हेतु आवश्यक निर्णय लिया गया है। प्रखंड कार्यालय अवस्थित व्यापार मंडल को अधिप्राप्ति कार्य हेतु इस प्रकार से सक्रिय किया गया है कि वैसे पैक्स जो कतिपय कारणों से अधिप्राप्ति कार्य नहीं कर पा रहे है– उन पैक्सों के किसान व्यापार मंडलों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

(ग) अधिप्राप्ति की सीमा में वृद्धि।

रैयत श्रेणी के किसानों के लिए धान अधिप्राप्ति की सीमा 200 क्विंटल को बढ़ाते हुए 250 क्विंटल कर दी गई है और गैर–रैयत श्रेणी के किसानों के लिए धान अधिप्राप्ति की सीमा 75 क्विंटल को बढ़ाते हुए 100 क्विंटल निर्धारित की गई है।

(घ) सघन धान अधिप्राप्ति की अवधि में परिवर्तन

पूर्व के वर्षों में सघन धान अधिप्राप्ति प्रायः 15, जनवरी के बाद प्रारंभ होती थी, परन्तु इस अधिप्राप्ति वर्ष में बेहतर नमी प्रबंधन के फलस्वरूप नवम्बर माह से ही सघन तौर पर धान अधिप्राप्ति का कार्य आरंभ कर दिया गया। विशेष रूप से लघु एवं सीमान्त किसानों को लाभान्वित करने के लिए यह व्यवस्था अत्यंत लाभकारी रही है, क्योंकि उन्हें अगले फसल के लिए पूँजी की तत्काल आवश्यकता होती है।

(ड़) जिला प्रशासन स्तर से इच्छुक किसानों का धान अधिप्राप्ति हेतु सर्वेक्षण

राज्य के प्रत्येक जिले में किसान सलाहकारों के माध्यम से धान अधिप्राप्ति हेतु इच्छुक किसानों का सर्वेक्षण कराकर उनकी विवरणी अधिप्राप्ति पोर्टल पर अपलोड की गई है तथा उनके धान की अधिप्राप्ति प्राथमिकता के आधार पर करायी जा रही है। ऐसा करने से उन किसानों को फायदा हो रहा है जो विभिन्न कारणों से न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नही प्राप्त कर पाते थें।

उपरोक्त के अतिरिक्त धान अधिप्राप्ति मौसम 2019–20 के सांकेतिक लक्ष्य 30 लाख मे0 टन को बढ़ाते हुए वर्तमान अधिप्राप्ति मौसम 2020–21 में 45 लाख मे0 टन निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही अधिप्राप्ति हेतु कैश–क्रेडिट ऋण की आवश्यकता के आलोक में राज्य सरकार के द्वारा 3,500 करोड़ रुपये की गारंटी बिहार राज्य सहकारी बैंक को उपलब्ध करायी गई है, जिससे धान अधिप्राप्ति का कार्य सुगमतापूर्वक सम्पन्न हो रहा है। आरंभ से ही धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम का अनुश्रवण उच्चतम स्तर से जिलापदाधिकारियों एवं संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के साथ किया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

धान अधिप्राप्ति व्यवस्था में सरलीकरण के सकारात्मक परिणाम बेहतर नतीजों को निम्नलिखित तालिका से समझा जा सकता है :

क्र.	तुलना के बिन्दु	जनवरी 2020 में धान अधिप्राप्ति की स्थिति	जनवरी 2021 में धान अधिप्राप्ति की स्थिति
1	अधिप्राप्ति हेतु किसान निबंधन	2,40,749	6,67,516
2	अधिसूचित सहकारी समितियों की संख्या	4,942	6,463
3	क्रियाशील सहकारी समितियों की संख्या	3,967	6,157
4	किसानों की संख्या	42,161	3,16,409
5	अधिप्राप्त किये गये धान की मात्रा	3.15 लाख मे॰टन	23.49 लाख मे॰टन
6	किसानों को भुगतान की गयी राशि	447.60 करोड़	3541.90 करोड़

स्पष्ट है कि धान अधिप्राप्ति व्यवस्था के सरलीकरण से अधिप्राप्ति में ढ़ांचागत परिवर्तन (Paradigm Shift) हुआ है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे।

शंभुसेन कुमार
सहायक निबंधक (अ॰र॰), सहयोग समितियाँ
प्रभारी अधिप्राप्ति कोषांग, सहकारिता विभाग

मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना

बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न

1. **मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना क्या है ?**

मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के द्वारा राज्य के सभी पैक्सों में आधुनिक कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना किया जाना है। इसके तहत पैक्सों को आधुनिक कृषि उपकरण की क्रय हेतु 15 लाख रुपये उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें 7.50 लाख रुपये अनुदान एवं 7.50 लाख रुपये ऋण की राशि सम्मिलित है। पैक्सों में क्रय किए गए आधुनिक कृषि उपकरणों की सेवा क्षेत्र के किसान विशेष कर लघु एवं सीमांत किसान न्यूनतम किराये पर प्राप्त कर सकेंगे।

2. **मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के क्या उद्देश्य है ?**

इस योजना का उद्देश्य बिहार राज्य में कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने एवं लघु तथा सीमांत कृषकों तक कृषि यांत्रिकीकरण का लाभ पहुँचा कर कृषि उपज में वृद्धि एवं कृषकों के आय को बढ़ाना है।

3. **योजना के तहत पैक्सों का चयन किसके द्वारा किया जाएगा ?**

इस योजना के अंतर्गत पैक्सों का चयन जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा किया जायेगा।

4. **योजना के तहत पैक्सों के चयन का आधार क्या है ?**

इस योजना के अंतर्गत वैसे पैक्सों का चयन किया जायेगा, जो विभाग द्वारा निर्धारित अर्हता बिन्दुओं का अनुपालन करते हुए योजना में शामिल होने के लिए जिला सहकारिता पदाधिकारी को आवेदन समर्पित करेंगे। योजना में शामिल करने हेतु पैक्सों से अपेक्षित अहर्त्ता निम्नांकित है :–

(a) पैक्स कृषि आगत (input) व्यवसाय करती हो। (b) पैक्स में प्रबंधक नियुक्त हो। (c) पैक्स का अपना भवन हो। (d) पैक्स में निर्वाचित प्रबंध समिति कार्यरत हो। (e) पैक्स वित्तीय वर्ष 2018–19 तक अंकेक्षित हो। (f) पैक्स लाभ में हो। (g) पैक्स किसी भी प्रकार के सरकारी ऋण/चक्रीय पूंजी के भुगतान में व्यतिक्रमी (Defaulter) नहीं हो। (h) कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध हो।

जिला सहकारिता पदाधिकारी, विभाग द्वारा निर्धारित अर्हता बिन्दुओं की जाँच कर प्रतिवेदन के साथ जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति के समक्ष योजना हेतु पैक्स के चयन का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। योजनान्तर्गत पैक्सों के चयन के संबंध में अंतिम निर्णय जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा लिया जायेगा।

5. **पैक्स को योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी ?**

पैक्सों को योजना के तहत मो0 15.00 लाख रूपये की वितीय सहायता दी जायेगी, जिसमें 50 प्रतिशत ऋण एवं 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में होगी।

6. **योजना के तहत कौन–कौन से कृषि यंत्र पैक्सों के द्वारा क्रय किये जा सकता है?**

योजना के तहत निम्नांकित कृषि यंत्र (1) Tractor (35-40 / 40-45 / 45-50 PTO HP) (2) Trolley (3) Laser Land Leveller (4) Rotavator (5) Multi-Crop Thresher (6) Disc Plough (7) Reversible M.B. Plough (8) Disc Harrow (9) Cultivator (10) Leveller (11) Cage Wheel (One Pair) (12) Seed-cum-fertiliser drill

(13) Potato Planter (14) Raised bed planter (15) Sugarcane Cutter-cum-planter (16) Power Weeder (17) Power Sprayer/Duster (18) Straw Balers without racks (19) Reaper-cum-binder (Self propelled) (20) Reaper-cum-binder (Tractor-propelled) (21) Potato Digger (22) Maize Thresher (Electric Motor Propelled) (23) Maize Thresher (Tractor Propelled) (24) Happy Seeder (Tractor Propelled) (25) Baler (Tractor Propelled) का क्रय पैक्सों के द्वारा किया जायेगा।

7. योजना के तहत् क्रय किए जाने वाले कृषि यंत्रों की विशिष्टियाँ क्या होगी?

योजना के तहत क्रय किए जाने वाले कृषि यंत्रों की विशिष्टियाँ कृषि मंत्रालय, भारत सरकार एवं कृषि विभाग, बिहार, सरकार द्वारा निर्धारित विशिष्टियाँ होंगी।

8. योजना के तहत क्रय किए जाने वाले कृषि यंत्रों का चयन किसके द्वारा किया जाएगा?

योजना के तहत क्रय किए जाने वाले कृषि यंत्रों का चयन पैक्स के द्वारा किया जाएगा। पैक्स द्वारा चयनित यंत्रों का जिला के पर्यावरण एवं कृषि अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमिटि द्वारा किया जायेगा। स्क्रीनिंग कमिटि में जिला सहकारिता पदाधिकारी (अध्यक्ष), जिला कृषि पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) एवं संबंधित पैक्स के अध्यक्ष शामिल हैं।

9. योजना के तहत कृषि यंत्रों के क्रय की प्रक्रिया क्या होगी?

स्क्रीनिंग कमिटि के निर्णयानुसार चयनित कृषि उपकरणों को क्रेता के द्वारा GeM Portal पर बीड प्राप्त करने हेतु अपलोड किया जायेगा। बीड की प्रक्रिया एवं Reverse Auction (RA) के पश्चात आपूर्त्तिकर्त्ता का निर्धारण किया जायेगा। तत्पश्चात् पैक्स द्वारा क्रय आदेश निर्गत किया जाएगा एवं चयनित आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा कृषि यंत्रों की आपूर्त्ति की जाएगी।

10. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा कृषि यंत्र की आपूर्ति प्राप्त होने के पश्चात् क्या कार्रवाई किया जाना है?

कृषि संयंत्रों के क्रय एवं पैक्सों को कृषि संयंत्रों की आपूर्ति के उपरान्त पैक्स स्तर पर उक्त संयंत्रों का सत्यापन जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। तत्पश्चात् जिला सहकारिता पदाधिकारी की अनुशंसा से जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/बिहार राज्य सहकारी बैंक की शाखा के द्वारा कृषि संयंत्र की राशि समिति के विशेष बचत खाता से समिति के बचत खाते में स्थानांतरित किया जायेगा। तदोपरान्त पैक्स के प्रबंधक एवं अध्यक्ष उक्त राशि का चेक बैक शाखा को उपलब्ध करायेंगे एवं जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक के संबंधित शाखाओं द्वारा कृषि संयंत्र आपूर्तिकर्त्ता को NEFT/RTGS के माध्यम से समय–सीमा के अन्दर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

11. कृषि यंत्रों के अधिकतम किराये का निर्धारण किनके द्वारा किया जाएगा?

कृषि उपकरणों के अधिकतम किराया के निर्धारण हेतु प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ की अध्यक्षता में एक कमिटि गठित की जायेगी। इसके सदस्य संबंधित प्रमंडल के संयुक्त निदेशक, कृषि, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला के पैक्सों के दो प्रतिनिधि (जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा नामित) शामिल होंगे। समिति विभिन्न उपकरणों के लिए अधिकतम किराये के दर का निर्धारण करेगी।

12. पैक्स द्वारा कृषि यंत्रों के संचालन हेतु कौन–कौन सी अनिवार्य पंजियों को संधारण किया जाएगा ?

पैक्स द्वारा कृषि यंत्रों के संचालन हेतु निम्नांकित अनिवार्य पंजियों का संधारण किया जाएगा।

i परिसंपत्ति पंजी (इसमें विक्रेता/मॉडल/क्रय/अभिश्रव/गारंटी/वारंटी/बीमा इत्यादी से संबंधित सभी जानकारियाँ होंगी)

ii किराया बुकिंग एवं किराया प्राप्ति पंजी

iii यंत्र मरम्मति पंजी

iv यंत्रवार लॉग–बुक

13. पैक्स द्वारा कृषि यंत्रों को किराये पर देने की प्रक्रिया क्या होगी ?

योजना के तहत् पैक्सों द्वारा क्रय किए जाने वाले कृषि उपकरणों की सेवा क्षेत्र के कृषकों विशेष कर लघु एवं सीमांत कृषकों को प्राथमिकता के आधार पर ''**प्रथम आओ–प्रथम पाओ**'' के सिद्धान्त के आधार पर बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध कराया जायेगा। अधिकतम किराया के निर्धारण हेतु प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित की जायेगी।

14. ऋण वसूली की क्या प्रक्रिया होगी ?

पैक्स के द्वारा राज्य सरकार को ऋण वापसी सूद सहित, योजना कार्यान्वयन के अगले वर्ष (एक वर्ष के Moratorium के उपरान्त) से 5 वर्षो में 10 अर्द्धवार्षिक समान किस्तों में की जायेगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा वित्तीय सहायता की राशि पैक्सों को उपलब्ध कराते समय योजना के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए किश्त की राशि एवं किश्त जमा करने की तिथि के उल्लेख के साथ कार्यादेश निर्गत किया जायेगा और उस पर पैक्स प्रबंधन की स्वीकृति प्राप्त करेंगे। इस योजनान्तर्गत प्रदत ऋण राशि की ब्याज सहित वापसी के लिए चयनित पैक्स एवं जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक/बिहार राज्य सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक के बीच में एक वैधानिक एकरारनामा किया जायेगा। इसके द्वारा चयनित पैक्स, संबंधित बैंक को ऋण की राशि अपने बचत खाता से निकाल कर ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा करने के लिए अधिकृत करेंगे।

15. ऋण वापस नहीं करने वाले पैक्सों पर क्या कार्रवाई की जायगी ?

कृषि यंत्र का सही संचालन नहीं करने एवं ब्याज सहित ऋण चुकाने में टाल–मटोल करने वाले पैक्सों के विरूद्ध Public Demand Recovery Act के तहत जिला सहकारिता पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक/प्रबंधक, बिहार राज्य सहकारी बैंक द्वारा कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।

16. कृषि यंत्रों के रख–रखाव (Maintenance) के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जाएगी ?

कृषि यंत्रों के सुरक्षित रख–रखाव एवं सदुपयोग की पूर्ण जिम्मेवारी पैक्स प्रबंधन की होगी। पैक्स प्रबंधन द्वारा कृषि संयंत्रों के बीमा (प्देनतंदबम) आदि की नियमानुसार समुचित व्यवस्था की जाएगी। विभिन्न कृषि उपकरणों के संचालन एवं रख–रखाव के लिए भी पैक्स के स्तर पर आपूर्तिकर्त्ताओं के द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

17. कृषि यंत्रों के उपयोग के पश्चात् रद्दीकरण की क्या प्रक्रिया होगी ?

योजनांतर्गत क्रय किए गए कृषि उपकरणों का उनके पूरे कार्यकाल तक उपयोग करने के पश्चात् सभी आवश्यक औपचारिकताऐं पूर्ण करने के बाद उनके रद्दीकरण एवं निष्पादन हेतु जिला सहकारिता पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला कृषि पदाधिकारी, सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण), जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक/शाखा प्रबंधक, बिहार राज्य सहकारी बैंक, मोटरयान निरीक्षक/यांत्रिक अभियंता एवं जिला पदाधिकारी द्वारा नामित वरीय उपसमाहर्ता स्तर के एक पदाधिकारी को शामिल करते हुए एक कमिटि गठित किया जाएगा। पैक्स द्वारा कृषि यंत्र के निष्प्रभावी होने संबंधी अनुशंसा मोटरयान निरीक्षक/यांत्रिक अभियंता से प्राप्त कर प्रबंध समिति के निर्णय के साथ जिला सहकारित पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। समिति के प्रस्ताव पर कमिटि द्वारा निर्णय के अनुरूप पैक्स द्वारा कृषि संयंत्रों का अंतिम निपटान किया जा सकेगा।

बागमती नदी के क्षेत्र में अवस्थित मुजफ्फरपुर जिले का औराई प्रखण्ड प्रकृति की सतत् विनाशलीला का साक्षी रहा है। बाढ़ की निरंतर बिभीषिका से ग्रसित यह प्रखण्ड जिले का दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ आधारभूत संरचनाओं का विकास उस तरह नहीं हुआ है जैसे जिला के और प्रखण्डों में है परन्तु **''एक सबके लिए एवं सब एक के लिए''** के मान्य सहकारी सिद्धांत को साकार करने का प्रयास किया है, यहाँ विशुनपुर गोखुल पैक्स के सदस्यों एवं इनकी चुनी हुई कार्यकारणी तथा उनके अध्यक्ष श्री राहुल शाही ने, जो लगातार पैक्स को अपना निर्विरोध नेतृत्त्व देते आ रहे हैं। इस क्षेत्र में मक्का एवं गेहूँ की अच्छी फसल होती है जबकि धान की फसल कम होती है। यातायात की बहुत अच्छी सुविधा नहीं होने तथा भण्डारण सुविधा का अभाव होने के कारण किसानों को अपनी फसल औने–पौने दामों पर बेचनी पड़ती थी, पैक्स में विभाग के सहयोग से वर्ष 2012–13 में 200 मे. टन व 2016–17 में 1000 मे0टन के गोदाम बनाये गये हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत पैक्स में एक टन प्रतिघंटा के क्षमता का चावल मिल भी बनाया गया हैं जिसका पूर्ण उपयोग समिति कर रही है। पैक्स प्रबंधन द्वारा समय–समय पर गोष्ठियों का आयोजन कर पशु नस्ल सुधार तथा उन्नत खेती की तकनीक से भी अपने सदस्यों को परिचित कराया जाता है तथा उन्हें इसके उपयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

पैक्स द्वारा सदस्यों की सुविधा के लिए अपने डाटा बेस को कम्प्यूटराईज भी किया गया है तथा भिन्न योजनाओं में निबंधन के लिए पैक्स द्वारा मुफ्त सुविधा उपलब्ध काराई जा रही है।

INPUT व्यवसाय: समिति अपने सदस्यों की सुविधा के लिये निर्धारित दर पर उर्वरक का व्यवसाय भी करती है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

क्रं.	वित्तीय वर्ष	उर्वरक बिक्री की राशि
1	2017–18	1362900 रूपये
2	2018–19	1854533 रूपये
3	2019–20	1529969 रूपये

समिति सदस्यों को कम्पोस्ट तथा हरित खाद बनाने हेतु प्रशिक्षण एवं सहयोग प्रदान करती है।

राईस मिलिंग: समिति द्वारा अब तब अपने राईस मिल से वर्षवार सी.एम.आर. की तैयारी निम्न प्रकार की गयी है–

क्रं.	वित्तीय वर्ष	धान अधिप्राप्ति	उर्वरक बिक्री की राशि
1	2016–17	3412 कि.	2286 कि.
2	2017–18	8678 कि.	5814 कि.
3	2018–19	3740 कि.	2508 कि.
4	2019–20	5608 कि.	3758 कि.

विपणन: पैक्स द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों में धान अधिप्राप्ति के साथ–साथ किसानों को उनके उत्पादों जैसे गेहूँ तथा मक्का के भंडारण के लिये Ware Housing की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है तथा बाजार भाव पर गेहूँ तथा मक्का की बिक्री के लिए निजी क्षेत्र की कंपनी के साथ हाथ मिलाया गया है। किसान पैक्स के गोदाम में अपने उत्पादों को कुछ किराया भुगतान कर एक निश्चित समय तक भंडारित करते हैं तथा बाजार भाव अधिक होने पर उन्हें सुविधानुसार बेचते हैं।

पैक्स द्वारा अनाज के साथ–साथ सब्जियों की खरीद एवं विपणन में भी औराई प्रखण्ड सब्जी उत्पादन सहयोग समिति के साथ सहयोग किया जा रहा है। पैक्स के गोदाम परिसर में ही किसान सब्जी लेकर आते हैं तथा उसे बेचने के लिए नजदीकी बाजार में भेजा जाता है।

आने वाले समय में पैक्स की कई नई योजनाएँ कार्यान्वित होने वाली है, जो निम्न प्रकार है–

1. **कैटल फीड उत्पादन योजना:** इसके लिए NCDC को Project Report समर्पित की गयी है।
2. **मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना:** यह योजना विभाग द्वारा स्वीकृत की गयी है, जिसमें 15 लाख रूपया तक का कृषि उपकरण पैक्स को उपलब्ध कराया जा रहा है, जो आगामी जनवरी माह से लागू हो पायेगी।
3. **DMA योजना:** मुजफ्फरपुर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के साथ POS के माध्यम से जुड़कर अपने क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने की योजना भी प्रगति पर है। इसमें स्थानीय लोग Debit Card के माध्यम से अपने खाता से जमा निकासी कर सकेंगे।

पैक्स अध्यक्ष श्री राहुल शाही एवं प्रबंधक श्री राज नंदन राय तथा कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों के सहयोग से पैक्स अपने सदस्यों को निरंतर प्रशिक्षण के साथ–साथ Input Processing तथा विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है, आवागमन की असुविधा तथा दैवी आपदा की निरंतर मार को देखते हुए इस पैक्स का सामाजिक एवं आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान है।

निबंधन: पैक्स का निबंधन संख्या 352/मुज० (जिला) दिनांक 14.10.2008 है। पता–बैगना चौक, पो.–पिन्डौली, थाना–औराई, जिला–मुजफ्फरपुर, बिहार, पिन कोड–843321 है।

पैक्स के बेहतर प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण

प्रशिक्षण की प्रक्रिया का तात्पर्य योजनाबद्ध हस्तक्षेप है जिसके माध्यम से लक्ष्य समूह के प्रशिक्षुओं के ज्ञान, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। राज्य में कुल 8463 पैक्स हैं।

जो ग्राम पंचायतों के सह–अंतक (Co-terminus) हैं। पैक्सों की कुल सदस्य संख्या 1.20 लाख है, जो राज्य की आबादी का करीब 10 प्रतिशत है। पैक्सों का विशाल सदस्य आधार विकेन्द्रीकृत उपस्थिति, जनतांत्रिक निर्वाचन, प्रजातांत्रिक प्रबंधन एवं कृषि चक्र की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने की वास्तविक/संभावित क्षमता पैक्सों को समग्र विकेन्द्रीकृत विकास की प्रक्रिया का आवश्यक अंग बनाती है। अतः आवश्यक है कि पैक्सों के समुचित एवं दक्षतापूर्ण प्रबंधन के लिए उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन करते हुए प्रशिक्षण रणनीति को इस तरह विकसित किया जाए कि पैक्स अपने उद्देश्यों को फलीभूत करने में सफल हों।

पैक्स स्तर पर प्रशिक्षण हेतु लक्ष्य समूह :

(क) पैक्स की प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य

(ख) पैक्स प्रबंधक

(ग) पैक्स के सामान्य सदस्य

(घ) पैक्स की महिला एवं भूमिहीन सदस्य

उपरोक्त वर्णित विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता अलग–अलग है।

(क) पैक्स की प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों की प्रशिक्षण आवश्यकता का मूल्यांकन

- प्रबंधकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य
- प्रबंधकारिणी समिति की बैठक का आयोजन
- पैक्स के आम सभा का आयोजन

- बैठक की कार्यवाही का संधारण
- प्रबंधकारिणी के सदस्यों एवं पैक्स प्रबंधक के बीच का संबंध
- कृषि उपादान यथा–खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं आदि का क्रय–विक्रय प्रबंधन
- भंडारण प्रबंधन
- खाद्य अधिप्राप्ति का प्रबंधन
- पैक्स स्तर पर अन्य व्यवसायिक संभावनाओं के संबंध में प्रशिक्षण
- लेखा संबंधी प्रारम्भिक प्रशिक्षण

(ख) पैक्स प्रबंधक की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन

प्रबंधकारिणी के सदस्यों हेतु उपरोक्त वर्णित प्रशिक्षण के अतिरिक्त पैक्स प्रबंधकों को निम्नलिखित मुद्दों पर प्रशिक्षित करना आवश्यक है।

- बैंलेंस शीट तैयार करने संबंधी प्रशिक्षण
- पैक्स का अंकेक्षण एवं अंकेक्षणोरान्त त्रुटि निराकण संबंधी प्रशिक्षण
- पैक्स कम्प्यूटराइजेशन से संबंधित प्रशिक्षण
- पैक्स एवं जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के बीच समन्वय संबंधी प्रशिक्षण
- पैक्स के कार्यक्रमों के प्रभावी प्रचार–प्रसार से संबंधित प्रशिक्षण
- स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरुप व्यवसाय विकास संबंधी प्रशिक्षण
- पैक्स के अधिसंरचना का रख–रख़ाव
- कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, नाबार्ड, जीविका इत्यादि के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी
- लघु वित्त (Micro Finance) एवं स्वयं सहायता समूह (SHG) के गठन से संबंधी प्रशिक्षण
- जमा वृद्धि योजना से संबंधित प्रशिक्षण
- सूचना का अधिकार संबंधी प्रशिक्षण

(ग) पैक्स के सामान्य सदस्यों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन

- सामान्य सदस्यों के अधिकार एवं कर्त्तव्य
- पैक्सों के विभिन्न योजनाओं से प्राप्त होने वाले लाभ संबंधी प्रशिक्षण
- सूचना का अधिकार संबंधी प्रशिक्षण

(घ) महिला एवं भूमिहीन सदस्यों के प्रशिक्षण आवश्यकता का मूल्यांकन

पैक्सों की सदस्यता वृद्धि अभियान के दौरान महिला एवं भूमिहीन सदस्यों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि उनके लिए उनके कौशल एवं आवश्यकता के हिसाब से रोजगारोन्मुखी अवसर सृजित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए।

प्रशिक्षण की रणनीति :

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि पैक्सों के कार्यकलाप को प्रभावी बनाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर प्रशिक्षण के माध्यम से हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक होगा कि–

- योग्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों/अंकेक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाए तथा पैक्स एवं प्रखंड स्तर पर विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर प्रशिक्षण का कार्य प्रारम्भ कराया जाए।
- प्रत्येक जिला के कुछ अध्यक्षों एवं प्रबंधकों को दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, पटना एवं सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा में प्रशिक्षित किया जाए तथा उनकी क्षमता का उपयोग स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण के लिए किया जाए।
- इस संबंध में ऑनलाईन माध्यम से गूगल मिट/जूम/टीम्स आदि एप का इस्तेमाल करते हुए आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायी जा सकती है। प्रत्येक जिला में पैक्स के अध्यक्षों एवं प्रबंधकों का प्रशिक्षण जिला स्तर पर दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षकों द्वारा कराये जा सकते हैं।
- इस हेतु जिला स्तर पर प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सामग्री यथा–प्रोजेक्टर स्क्रीन (परदा) आदि की व्यवस्था कराया जाना आवश्यक होगा। समेकित सहकारी विकास परियोजना से आच्छादित जिलों में प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध राशि का उपयोग प्रशिक्षण के लिए किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के गुड़गॉव स्थित प्रशिक्षण केन्द्र में उनकी प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध है एवं समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।
- चयनित पैक्सों के अध्यक्षों एवं प्रबंधकों को बेहतर कार्य कर रही सहकारी समितियों का भ्रमण कराया जा सकता है जिससे कि उन्हें महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त हो सके।

अभी तक पैक्स स्तर पर प्रशिक्षण की कोई योजनाबद्ध व्यवस्था नहीं रही है, परन्तु पैक्सों के कार्यकलाप में उल्लेखनीय वृद्धि होने के उपरान्त पैक्सों के व्यवसाय में प्रजातांत्रिक प्रबंधन एवं समाजिक प्रतिबद्धता के साथ दक्षता लाने के लिए विकेन्द्रीकृत एवं प्रभावी प्रशिक्षण का कोई विकल्प नहीं है।

सहकारी बैंकों में एकमुश्त ऋण समझौता योजना

राज्य के सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए सहकारिता विभाग एवं सहकारी बैंक प्रबंधन के द्वारा अनेक प्रयास किये जा रहे है। इन प्रयासों की कड़ी में गैर निष्पादक परिसम्पत्तियों (NPA) के प्रबंधन एवं अतिदेय ऋण की वसूली हेतु बिहार राज्य के सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं बिहार राज्य सहकारी बैंक में एकमुश्त समझौता योजना (One Time Settlement Scheme-OTS) लागू करने के लिए निम्नांकित व्यवस्था को लागू किया गया है:

क्र	ऋण का प्रकार	दि. 31.03.2020 को ऋण अतिदेय की अवधि	IRAC Norms के अनुसार Asset Classification	माह	ब्याज में माफी	अभ्युक्ति
1	अल्पकालीन कृषि ऋण	6 वर्षों से अधिक	Lost Asset	दिसम्बर 2020 से जनवरी 2021	90 प्रतिशत	व्यक्तिगत ऋण 10 लाख तक और संस्थागत ऋण 10 करोड़ तक
				फरवरी 2021 से मार्च 2021	80 प्रतिशत	
2	अल्पकालीन कृषि ऋण	4 से 6 वर्ष	Doubtful Asset	दिसम्बर 2020 से जनवरी 2021	80 प्रतिशत	
				फरवरी 2021 से मार्च 2021	60 प्रतिशत	
3	अल्पकालीन कृषि ऋण	3 से 4 वर्ष	Doubtful Asset	दिसम्बर 2020 से जनवरी 2021	60 प्रतिशत	
				फरवरी 2021 से मार्च 2021	40 प्रतिशत	
4	गैर कृषि ऋण	6 वर्षों से अधिक	Lost Asset	दिसम्बर 2020 से जनवरी 2021	90 प्रतिशत	व्यक्तिगत ऋण 5 लाख तक और संस्थागत ऋण 5 करोड़ तक
				फरवरी 2021 से मार्च 2021	80 प्रतिशत	
5	गैर कृषि ऋण	4 से 6 वर्ष	Doubtful Asset	दिसम्बर 2020 से जनवरी 2021	80 प्रतिशत	
				फरवरी 2021 से मार्च 2021	60 प्रतिशत	

क्र	ऋण का प्रकार	दि. 31.03.2020 को ऋण अतिदेय की अवधि	IRAC Norms के अनुसार Asset Classification	माह	ब्याज में माफी	अभ्युक्ति
6	गैर कृषि ऋण	3 से 4 वर्ष	Doubtful Asset	दिसम्बर 2020 से जनवरी 2021	60 प्रतिशत	
				फरवरी 2021 से मार्च 2021	40 प्रतिशत	

अतिदेय ऋण वसूली की रणनीति :

राज्य के सहकारी बैंकों के द्वारा अतिदेय ऋण की वसूली हेतु एकमुश्त समझौता योजना का विभिन्न प्रचार माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया है। साथ ही, व्यतिक्रमी ऋण धारकों (Defaulting Borrowers) से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर उन्हें योजनान्तर्गत उपलब्ध ब्याज पर भारी छुट से अवगत कराया जा रहा है। अतिदेय ऋण की वसूली में विभागीय पदाधिकारियों, कर्मियों, बैंक कर्मचारियों के अतिरिक्त निदेशक मंडल के सदस्यों की भी सेवा ली जा रही है। साथ ही, पैक्स के अध्यक्षों एवं प्रबंधकों के माध्यम से भी अतिदेय ऋण की वसूली की जा रही है। योजनान्तर्गत आवश्यकतानुसार कैम्प का आयोजन कर अतिदेय ऋण की वसूली की जा रही है। विभागीय स्तर पर प्रतिदिन अतिदेय ऋण की वसूली में दैनिक प्रगति की समीक्षा विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा की जा रही है। व्यतिक्रमी ऋण धारकों के शिकायतों का निपटारा करने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है।

एकमुश्त ऋण समझौता योजना से होने वाले लाभ :

एकमुश्त ऋण समझौता योजना व्यतिक्रमी ऋण धारकों एवं बैंक दोनों के लिए लाभप्रद (Win-Win Situation) है।

(क) ऋण धारकों के लिए ब्याज में भारी छुट के फलस्वरूप उनकी देनदारियाँ (Loan Libilities) काफी कम हो जा रही हैं और ऐसा सुनहरा मौका उन्हें दोबारा नहीं मिलने जा रहा है। एकमुश्त ऋण समझौता योजना की समाप्ति के बाद वैसे ऋण धारक जो इस योजना का लाभ योजनावधि में नहीं उठा पायेंगे–के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

(ख) राज्य के सहकारी बैंकों का गैर निष्पादक परिसम्पत्तियों (NPA) का स्तर चिंताजनक रूप से अधिक है। अतिदेय ऋण की वसूली के पश्चात् बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामक मानकों (Regulatory Standards) का अनुपालन करने में सफल होंगे तथा बैंकों का बैलेंस शीट मजबूत होगा।

(ग) गैर निष्पादक परिसम्पत्तियों (NPA) में कमी आने के बाद बैंकों के ऋण देने की क्षमता में वृद्धि होगी जिसके फलस्वरूप बैंक गुणवत्तापूर्ण ऋण देने की स्थिति में होंगे तथा सहकारी बैंकों की अर्थक्षमता (Financial Viability) मजबूत होगी।

(घ) जोखिम प्रबंधन (Risk Management) मजबूत बैंकिंग के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतिदेय ऋण की वसूली के पश्चात् राज्य के सहकारी बैंकों का Market Risk, Liquidity Risk, Credit Risk एवं Reputation Risk कम होगा तथा जमाकर्त्ताओं का भरोसा सहकारी बैंकों के प्रति बढ़ेगा।

(ङ) भारत के बैंकिंग प्रक्षेत्र में गैर निष्पादक परिसम्पत्तियों (NPA) का स्तर करीब 13 प्रतिशत है। बैंकिंग क्षेत्र के लिए यह अत्यंत चिंताजनक स्थिति है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के बजट में गैर निष्पादक परिसम्पत्तियों (NPA) के प्रबंधन के लिए एक Bad Bank का प्रस्ताव रखा गया है।

उपरोक्त संदर्भ में यह आवश्यक है कि राज्य के सहकारी बैंक एकमुश्त ऋण समझौता योजना को सफल बनाने के लिए किये जा रहे प्रयासों को सफल बनायें।

सहकार छंद

समान विश्वास का अनुसरण कर, सहयोग की परिपाटी पर।
गाँधी के सपनों का भारत, गाँव–समाज की माटी पर।।

ले कर आई क्रान्तिस्वरूप, अनेकता में एकता।
सहकार करे साकार सपने, संस्था सिखाए विवेकता।
नवयुग के निर्माण हेतु सकल है सहकारिता।।

दुग्ध मूल इस देश में, बूँद–बूँद का उपयोग हो।
धरती की हर उपज का, सही मूल्य में विनियोग हो।।

फसल संचय करने को, गोदामों का निर्माण हो।
मत्स्य पालक हर श्रमिक को उचित अवसर प्रदान हो।।

श्रमिक आधारित संस्था में, श्रम साधक का सम्मान हो।
सभी को आवास मिले और दर्जी–रंगरेज, धुनिया एवं बुनकर के सभी समस्याओं का समाधान हो।।

सम्पूर्ण हो वैचारिकता।
सबल है सहकारिता।।

फसल उपज में अधिप्राप्ति की सुविधा,
नुकसान में बिहार राज्य फसल सहायता,
कृषि संयंत्र की हो हर पंचायत में उपलब्धता,
महिला सशक्तीकरण से आए समाज में सुदृढ़ता,
जीवन्त है सहकारिता, प्रबल है सहकारिता।
अखण्ड है सहकारिता, सफल है सहकारिता।।

अमरेश कुमार
निम्न वर्गीय लिपिक
कार्यालय, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, गया
सम्प्रति प्रतिनियुक्त, निबंधक, स.स. कोषांग, बिहार, पटना

झलकियाँ

कृषि उपकरणों की GeM पोर्टल के माध्यम से खरीद हेतु प्रशिक्षण

औरंगाबाद में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के द्वारा आयोजित एक मुश्त ऋण समझौता योजना कैम्प प्रगति में

व्यापार मंडल सहयोग समिति, ओबरा, औरंगाबाद

जहानाबाद में जेम पोर्टल के माध्यम से कृषि उपकरणों के खरीद हेतु प्रशिक्षण शिविर का आयोजन

पैक्स गोदाम, चेहरा कलाँ, वैशाली

पैक्स, नोआवॉं, जहानाबाद

बिहार सरकार

सहकारिता विभाग
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित